**भारत सरकार**

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न सं. 108**

**सोमवार, 30 नवंबर, 2015/9 अग्रहायण, 1937 (शक)**

**छोटे पत्तनों से सड़क संपर्क**

**108. श्री भूपिंदर सिंह:**

**क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) देश के छोटे पत्तनों को सड़कों से जोड़ने की योजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) छोटे पत्तनों के लिए सड़क संपर्क हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यनीति बनाई गई है;

(ग) मंत्रालय में राज्य सरकारों से इस संबंध में कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और उनकी राज्य-वार परियोजना लागत क्या है;

(घ) क्या इनके लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और राज्य सरकार खर्च वहन करेंगे और यदि हां, तो कब; और

(ङ) क्या यह सच है कि उड़ीसा सरकार ने राज्य के विभिन्न छोटे पत्तनों के लिए 1236 करोड़ रुपए की मांग की है?

**उत्‍तर**

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्‍य मंत्री**

**(श्री पोन्. राधाकृष्‍णन)**

**(क) से (घ) :** मंत्रालय ने राज्‍य सरकारों के परामर्शन में भारत माला परियोजना के अंतर्गत नये राष्‍ट्रीय राजमार्गों के लगभग 7000 किमी के विकास को कवर करते हुए तटवर्ती सीमा/सड़क सम्‍पर्कता को शामिल करते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क सम्‍पर्कता में सुधार लाने को ध्‍यान में रखते हुए राष्‍ट्रीय राजमार्ग (एनएच) नेटवर्क की विस्‍तृत समीक्षा शुरू कर दी है। प्रस्‍तावित कार्यक्रम में अन्‍य बातों के साथ-साथ कुछ गैर प्रमुख पत्‍तनों को भी सड़क सम्‍पर्कता के विकास में शामिल करने की परिकल्‍पना है। तथापि, इस परियोजना की औपचारिक रूप से अभी शुरूआत की जानी है।

**(ड.) :** ओडिशा सरकार ने प्रारंभ में राज्‍य में राष्‍ट्रीय राजमार्ग के नेटवर्क के साथ धामरा पोर्ट चूणामणि पोर्ट, गोपालपुर पोर्ट, सुवर्ण रेखा माउथ पोर्ट, अष्‍ट रंग पोर्ट और बालीहरचंडी पोर्ट को सड़क सम्‍पर्कता प्रदान करने के लिए प्रस्‍ताव/प्राक्‍कलन प्रस्‍तुत किया था। बाद में यह स्‍पष्‍ट किया गया कि ओडिशा सरकार ने राज्‍य में पीपीपी पद्धति से इन गैर प्रमुख पत्‍तनों को विकसित करने के लिए विभिन्‍न प्राइवेट पत्‍तन विकासकों के साथ रियायत करार/समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर कर दिये थे और राज्‍य सरकार ने पत्‍तन विकासकों के साथ सम्‍पन्‍न संबंधित करारों में इन पत्‍तनों की सड़क सम्‍पर्कता को शामिल कर लिया था। उपर्युक्‍त कार्यों के परिप्रेक्ष्‍य में ओडिशा राज्‍य में पूर्वोक्‍त पत्‍तनों को चार लेन वाली सड़क सम्‍पर्कता विकसित करने के लिए भारतीय राष्‍ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा व्‍यवहार्यता अध्‍ययन निरस्‍त कर दिया गया।

\*\*\*\*\*